नगर निगम वाराणसी।

नगर निगम (सदन) अधिवेशन की स्थगित बैठक दिनांक–25.01.2019 अपरान्ह–02.00 बजे की कार्यवाही जो मैदागिन स्थित टाउनहाल में सम्पन्न हुई की कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्रीमती मृदुला जायसवाल, अध्यक्ष/महापौर

2.	श्री राजेश कुमार	पार्षद	3	श्रीमती शशि कला	पार्षद
4	श्री सुनील	पार्षद	5	श्री विजय सोनकर	पार्षद
6	श्री संजय गुप्ता	पार्षद	7	श्री संदीप त्रिपाठी	पार्षद
8	श्री दूधनाथ राजभर	पार्षद	9	श्री दिनेश यादव	पार्षद
10	श्री अशोक मौर्या	पार्षद	11	श्री सुशील गुप्ता	पार्षद
12	श्रीमती पूनम विश्वकर्मा	पार्षद	13	श्रीमती विजय श्री	पार्षद
14	श्रीमती रेहाना	पार्षद	15	श्री बृजराज कुंवर	पार्षद
16	श्री इन्द्रदेव पटवा	पार्षद	17	श्री शंकर साहू	पार्षद
18	श्री राजेन्द्र	पार्षद	19	श्री कमल पटेल	पार्षद
20	श्रीमती शशि यादव	पार्षद	21	श्रीमती मीरा देवी	पार्षद
22	श्री संदीप श्रीवास्तव	पार्षद	23	श्री रियाजुद्दीन	पार्षद
24	श्री प्रशान्त सिंह	पार्षद	25	श्री विनय कुमार	पार्षद
26	श्री मो0 ओकास	पार्षद	27	श्री राजेश केशरी	पार्षद
28	श्री रोहित	पार्षद	29	श्री शिवप्रकाश	पार्षद
30	श्री कृष्णकान्त	पार्षद	31	श्री संजय	पार्षद
32	श्री सुनील यादव	पार्षद	33	श्री श्याम आसरे मौर्य	पार्षद
34	श्री शहनाज बानों	पार्षद	35	श्री पूर्णमासी गुप्ता	पार्षद
36	श्री सुरेश कुमार चौरसिया	पार्षद	37	श्रीमती विजेता चौधरी	पार्षद
38	श्रीमती अलीशा	पार्षद	39	श्री लकी वर्मा	पार्षद
40	श्री राजेश यादव	पार्षद	41	श्री गोपाल यादव	पार्षद
42	श्री अफजाल	पार्षद	43	श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी	पार्षद
44	श्री अंकित यादव	पार्षद	45	श्री हारून अंसारी	पार्षद
46	श्री मनोज यावव	पार्षद	47	श्रीमती उर्वशी	पार्षद
48	श्री प्रदीप कुमार	पार्षद	49	श्री रमजान अली	पार्षद
50	श्री नरसिंह दास	पार्षद	51	श्री रेशमा	पार्षद
52	श्री सन्तोष शर्मा	पार्षद	53	श्री विपुल गुजराती	पार्षद
54	श्री बेलाल अहमद	पार्षद	55	श्रीमती नूरजहाँ	पार्षद

Mridula

महापौर

नगर निगम-वाराणसी

अन्य उपस्थिति

1. श्री अजय कुमार सिंह, प्र0 नगर आयुक्त।
2. श्री रमेश चन्द्र सिंह, अपर नगर आयुक्त।
3. श्री राकेश यादव, अपर नगर अयुक्त।
4. श्री आर0के0 प्रसाद, सहायक नगर आयुक्त।
5. श्री जी0एल0 केशरवानी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
6. श्री ए0के0 दूबे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
7. श्री कूलभूषण वार्ष्णेय मुख्य अभियंता।
8. श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य वित एवं लेखाधिकारी।
9. श्री लोकेश जैन, अधिशासी अभियंता।
10. श्री अजय राम, प्रभारी अधिकारी आलोक।
11. श्री राघवेन्द्र कुमार, सचिव, जलकल।
12. श्री अरविन्द श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता।
13. श्री दिलीप शुक्ला, अधिशासी अभियंता।
14. श्री महेश चन्द्र आजाद, अधिशासी अभियंता, जलकल।
15. श्री विमल कुमार, अधिशसी अभियंता, जलकल।
16. श्री सिद्धार्थ कुमार, अधिशासी अभियंता, जलकल।

अध्यक्ष– मा0 पार्षदगण, अधिकारी व कर्मचारीगण, पत्रकार बन्धु आज के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व वन्देमातरम् गीत गाया जाय। (तत्पश्चात् वन्देमातरम् गीत गाया गया।)

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है, आप सभी सदस्यो से अनुरोध है, कि आपके विकास सम्बन्धी सभी प्रस्ताव पारित कर अलग कर दिये गये है जो शेष प्रस्ताव है, उसपर चर्चा होगी प्रस्तावक अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी बात कम शब्दो में रखने का प्रयास करेगे जिससे सदन का समय जाया न हो।

श्री शंकर साहू– अध्यक्ष महोदया मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

श्री राजेश यादव–अध्यक्ष महोदया बार–बार सदन में ध्यानाकर्षण और कामरोको प्रस्ताव रखने का कोई औचित्य नहीं है, प्रस्ताव पर चर्चा कराया जाय।

अध्यक्ष– श्री श्याम आसरे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री श्याम आसरे– अध्यक्ष महोदया मै अपना प्रस्ताव संख्या 01 व 03 नगर आयुक्त की उपस्थिति में प्रस्तुत करूँगा।

श्री श्याम आसरे मौर्य पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	**संकल्प संख्या**
1. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 112 (ख) आवश्यक सेवाएं की उपधारा (ग) के तहत सफाई कर्मी की व्यवस्था की जाती है। इनके कार्यों को सुगम बनानें के लिए हमें और भी प्रयास करनें चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम प्रशासन को काफी सजग रहना चाहिए, सभी जनप्रतिनिधि सुबह से वार्डों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनानें के लिए खुद दौड़ते रहते हैं, इसके लिए नये प्रयोग भी करनें पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। गुजरात में	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री वृज राज कुँवर द्वारा किया गया। **अध्यक्ष–**सम्बन्धित अधिकारी स्पष्ट करें। **श्री अजय राम** प्रभारी अधिकारी परिवहन– अध्यक्ष महोदया जो वाहन शहर से बाहर कूड़ा लेकर जाते है ऐसे 34 वाहनो में स्पीकर लगाया गया था किन्ही कारणो से कुछ वाहनो में स्पीकर खराब हो गये है उन गाड़ियो में पुनः स्पीकर लगाने की कार्यवाही चल रही है।

Mridula
महापौर
नगर निगम–वाराणसी

सफाई वाहनों में स्वच्छता संदेश की धुन बजती है। सदन नगर आयुक्त को आदेशित व निर्देशित करती है कि जिस तरह गुजरात में सफाई वाहनों में स्वच्छता संदेश धुन बजती है। उसी प्रकार यहां भी सफाई व्यवस्था में लगे सभी वाहनों में साउंड सिस्टम लगवाया जाय और साउंड सिस्टम के जरिये जनता को स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रति जागरुक किया जाये।	**अध्यक्ष–** एक वर्ष हो गया अभी तक स्पीकर नही लगाया गया। वाहनो में स्पीकर की व्यवस्था शीघ्र की जाय। प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष– श्री राजेश यादव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राजेश यादव पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	**संकल्प संख्या–**
1. आये दिन जनता द्वारा शिकायत मिल रही है कि जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक द्वारा शहर के कई मकानों , दुकानों व माल आदि का कर मनमानें तरीके से लगाकर जनता को भयभीत करते हैं गलत तरीके से वसूली की जा रही है व धारा 213 के अन्तर्गत नामांतरण की कार्यवाही पर भी मनमाना तरीके से नाम चढ़ानें की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 95 में निगम को अधिकार है कि किसी मामले की जांच करनें तथा उसपर प्रतिवेदन देने के लिए विशेष संकल्प द्वारा समय–समय पर एक विशेष समिति का गठन कर सकती है। अतः आज की बैठक में सदन सर्वसम्मति से निर्णय करती है कि इस कार्य की जांच के लिए एक समिति का गठन हो।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री कुंवर कान्त सिंह द्वारा किया गया। **श्री राजेश यादव–**अध्यक्ष महोदया धारा–213 व असेस्मेंट की कार्यवाही कमेटी के माध्यम से मा0 पार्षदों द्वारा की जाती थी राज्य सरकार द्वारा बाद में अधिनियम में संशोधन कर यह अधिकार अधिकारियों को दे दिया गया। अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से धारा 213 व असेस्मेंट की कार्यवाही विलम्ब के साथ परितोष लेकर कार्यवाही की जाती है, जिसके कारण आम जनता परेशान होती हैं। इस सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया जाय। **श्री प्राशान्त सिंह–** अध्यक्ष महोदया कमेटी का गठन कर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। **श्री कुंवर कांत सिंह–**अध्यक्ष महोदया समिति में कौन–कौन सदस्य होगें, सदन जानना चाहता है। **श्री राजेश यादव–** अध्यक्ष महोदया नगर निगम अधिनियम की धारा 119 के तहत नगर आयुक्त और कार्यकारिणी समिति को विशेष अधिकार दिया गया है, उसी तरह सदन को नाम तय करने का अधिकार है, सदन चाहे तो बहुमत से भी नाम तय कर सकती है। यदि सदन सहमत हो तो प्रस्तावक को लेकर श्री रमजान अली, श्री रोहित जायसवाल, श्री प्रशान्त सिंह व श्री अंकित यादव का नाम तय किया जाय। **श्री राजेन्द्र मौर्या–**अध्यक्ष महोदया समिति में प्रत्येक पार्टी से एक सदस्य को लिया जाय। **श्रीमती उर्वशी जायसवाल–** अध्यक्ष महोदया कोई भी समिति बने उसमें महिलाएं भी रहें। **श्री नरसिंह दास–** अध्यक्ष महोदया भवन सर्वे के नाम पर 10 से 12 गुना डिमाण्ड बढ़ाकर भेजा जा रहा है, डिमाण्ड ठीक करने के नाम पर जनता को भयभीत कर दोहन किया जा रहा है इसके बारे में स्पष्ट करायें। **श्री रमजान अली–** अध्यक्ष महोदया पहले जिस जोन का असेस्मेंट होता था भवन स्वामी को नोटिस भेजी जाती थी

Mridula

नगर निगम

	लेकिन अब ऐसा न करके सीधे डिमाण्ड बिल भेजी जा रही है नयी व्यवस्था को खत्म कर पुरानी व्यवस्था किया जाय। **अध्यक्ष**– अपर नगर आयुक्त स्पष्ट करें। **श्री अजय कुमार सिंह–प्रभारी नगर आयुक्त**–अध्यक्ष महोदया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक जोन से दो–दो वार्ड इस प्रकार 10 वार्डो का सर्वे कैरीटास कम्पनी से कराया गया है, जिसके असेस्मेंट में काफी अन्तर आया है। जिन भवन स्वामियों द्वारा असेस्मेंट के संबंध में आपत्ति दी जाती है उसका निस्तारण कराया जाता है। **अध्यक्ष**–इस प्रस्ताव को ओपेन रखा जाता है, अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाय।

अध्यक्ष– श्री शंकर साहू अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री शंकर साहू पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	**संकल्प संख्या–**
2. स्मार्ट सिटी में जो कार्य हो रहा है उनका देख–रेख कौन कर रहा है इसका डी0पी0आर0 योजना किसके द्वारा बनायी गयी है, इसे स्पष्टीकरण दिलाया जाय, ह्रदय योजना के द्वारा जो कार्य अधूरा है वो कब होगा, उसका देख–रेख कौन कर रहा है। यह भी स्पष्टकराया जाय कि हमारे वार्ड नं0 28 चेतगंज से जो ट्यूबवेल लगे हैं उसका 2 बार रिबोर हो चुका है व फेल हो चुका है, तत्काल किसी योजना से 2 नये ट्यूबवेल लगाया जाय जो कि इस ट्यूबवेल से 3 वार्ड में पानी सप्लाई होता है। उसका इस्तेमाल 50 हजार से ज्यादा लोग करते हैं और आने वाले गर्मी में बहुत दिक्कत होगी आये दिन विवाद होता है। उसे ठीक करानें का कष्ट करें। सेनपुरा ट्यूबवेल रामकटोरा जगह जहां ट्यूबवेल लगाना है। बाग कन्हैया लान 26/67, 22/25/26 में लगनें से सप्लाई हो सकता है। पशु चिकित्सालय में पीछे लग सकता है।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री श्याम आसरे द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**– इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

अध्यक्ष– श्री कुंवर कांत सिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री कुंवर कृष्ण कांत पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	संकल्प संख्या–
1. स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में नागरिकों को जागरुक करनें व सफाई के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। हम सभी जनप्रतिनिधि सफाई को लेकर संवेदनशील हैं मिशन क्लीन गंगा के तहत सफाई के लिए खिड़किया घाट से अस्सी घाट तक स्कीमर से सफाई के लिए हर माह साढ़े तीन लाख का भुगतान मिशन क्लीन गंगा के लिए किया जाता है जो नगर निगम की देख–रेख में होता है। महोदय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मशीन रोज नही चलाई जाती है मेरे वार्ड के बगल में हमेशा खड़ी रहती है। अतः आज की सदन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करता है जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्यवाही की जाय और मशीन द्वारा रोज गंगा की सफाई करवाई जाय।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री श्याम आसरे द्वारा किया गया। **अध्यक्ष–** इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

अध्यक्ष– श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	संकल्प संख्या–
2. वाराणसी के गंगा नदी में विगत कई वर्षों से किसके आदेश पर नावों एवं स्टीमरों को लाईसेंस जारी नही किया जा रहा है और पुरानें लाईसेंस का नवीनीकरण भी नही किया जा रहा है, जिसके कारण गंगा घाटों पर नावों एवं स्टीमरों की संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है जिससे दर्शनार्थियों व स्नानार्थियों को घाट के किनारे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं नगर निगम को राजस्व की भी बड़ी हानि हो रही है तथा गंगा में स्टीमर के संचालन से काफी प्रदूषण भी बढ़ गया है। अतः इस पर उचित कार्यवाही किया जाय।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री नरसिंह दास द्वारा किया गया। **श्री नरसिंह दास–** अध्यक्ष महोदया पूरे गंगा घाट हेतु नाव का लाइसेंस देने का अधिकार नगर निगम को प्राविधानित है, नावों से लाइसेंस मद में आय होती है, मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था कि क्यों नाव का लाइसेंस व नवीनीकरण बाधित है तो उत्तर में बताया गया था कि कछुआ सेंचुरी के कारण राजघाट से रामनगर तक मशीन चालित नावों का लाइसेंस प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके कारण लाइसेंस न देने से नगर निगम का नुकसान हो रहा हैं। पुरानी बिल को लेकर कर्मचारी घाटों पर जाते है और रसीद काटते है जिसे नगर निगम कोष में जमा नहीं किया जाता हैं,

Mridula

महापौर

नगर निगम

तथा गंगा में स्टीमर के संचालन से काफी प्रदूषण भी बढ़ गया है। अतः इस पर उचित कार्यवाही किया जाय।	इसके बारे में भी स्पष्ट करा दें। **श्री राकेश यादव–अपर नगर आयुकत**–अध्यक्ष महोदया कछुआ सेंचुरी के कारण मोटर चालित नावों को प्रतिबन्धित किया गया है। वर्ष 2017–18 कुछ लाइसेंस जारी किये गये है व 2018–19 में कोई भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। बड़ी नाव 100/ रूपया व छोटी नाव 50/रूपया का रेट है। **श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी**– अध्यक्ष महोदया कितना नाव चल रहा है व कितने नाव बन्द हुए है, स्पष्ट करा दें। **श्री राकेश यादव–अपर नगर आयुकत**– अध्यक्ष महोदया बाद में मा0 पार्षदगण को सूची से अवगत करा दूंगा। **अध्यक्ष**– प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, मोटर चालित नाव व अन्य नाव की सूची से मा0 सदस्य को अवगत करा दें।

श्री अशोक मौर्या– अध्यक्ष महोदया वर्ष 2015–16 तक के प्रस्ताव का कार्य आज तक नहीं हुआ, इसके बारे में स्पष्ट करा दें।
अध्यक्ष– मुख्य अभियंता स्पष्ट करें।
मुख्य अभियंता– अध्यक्ष महोदया 25 लाख का विकास सम्बन्धी कार्य 89 वार्डो का आ चुका है, 19 वार्डो का टेण्डर हो चुका है। जैसे–जैसे पत्रावलियां स्वीकृत होती जायेगी, वैसे–वैसे उसका टेण्डर होता जायेगा। पूर्व के भी कार्य शीघ्र कराये जायेगें।
श्री विनय साजेदा–अध्यक्ष महोदया मेरे वार्ड अन्तर्गत कोई प्रस्ताव गया ही नहीं है तो कैसे जोड़ लिया गया है।
मुख्य अभियंता–अध्यक्ष महोदया अगर इनके वार्ड का प्रस्ताव नहीं आया होगा तो संख्या 88 हो जायेगी।
श्री दिनेश यादव–अध्यक्ष महोदया ठेकेदार की लापरवाही से कार्य में विलम्ब होता है, दोष अधिकारी का दिया जाता है, समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हों इसका ध्यान रखा जाय, इसकी मानिटरिंग की जाय। समय के अन्तर्गत कार्य पूरा न करने वाले ठेकेदार को कालातित किया जाय। उपरोक्त बातों का समर्थन श्री हारून अंसारी द्वारा किया गया।
मुख्य अभियंता–अध्यक्ष महोदया कार्यादेश में समय लिखा रहता है, समय के अन्तर्गत कार्य न करने पर उन्हें नोटिस दी जाती है।

अध्यक्ष–कार्यादेश के अनुसार तय समय सीमा में यदि ठेकेदार कार्य न करें तो उसकी जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जाय और उसे ब्लैक लिस्ट किया जाय, जो भी कार्य सम्बन्धी बोर्ड लगाये जाये वह मानक के अनुरूप हों। मुख्य अभियंता इसका ध्यान रखें।

श्री दिनेश यादव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री दिनेश यादव पार्षद का प्रस्ताव दिनांक– 11.12.2018	संकल्प संख्या–
1. सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में जितनें भी जर्जर पोल व तार जो सड़क के बीच में हों उसे सर्वे कराकर किनारे किया जाय व जर्जर पोल व तार बदला जाय जिससे जनमानस को जान का खतरा न रहे। वहीं आज भी शहर के अन्दर काफी मोहल्लों में बांस व बल्लियों के सहारे तार गया है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है व रास्ते में अन्धकार रहता है जिससे शहर की छवी खराब हो रही है सदन की मंशा है कि सर्वे कराकर इस कार्य को तत्काल विभागीय कार्यवाही करते हुए शासन को भी अवगत करायें जिससे कार्य हो सके।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री हारून अंसारी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष**– प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शहर के अन्दर जो भी तार अव्यवस्थित है, उसे ठीक किया जाय, सम्बन्धित विभाग को नोटिस देकर हटवाया जाय।

Mridula
महापौर
नगर निगम–वाराणसी

श्री दिनेश यादव पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	संकल्प संख्या–
2. नगर निगम द्वारा वाराणसी शहर में जो स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। वरुणापार में जे0पी0 मेहता कालेज में काफी बच्चे पढ़ते हैं और इस कालेज में छात्राओं को भी शिक्षा दिया जा रहा है। काफी पुराना कालेज होने कि वजह से कालेज भवन काफी जर्जर व खेल मैदान एवं मूल–भूत सुविधाओं की काफी कमी है। वहीं सन् 2017–18 के अवस्थापना निधि में ही कालेज की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। अतः अनुरोध करता हूं कि दो करोड़ रूपया सभी सम्मानित पार्षद व अध्यक्ष महोदया सर्वसम्मति से कार्य करानें का कष्ट करें वही कालेज के अन्दर छात्र–छात्राओं को कैंटीन की भी आवश्यकता है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इस कार्य को करानें का कष्ट करें जिससे कालेज प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं में भी शामिल हो।	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री हारून अंसारी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष–** प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। नगर आयुक्त परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

श्री हारून अंसारी– अध्यक्ष महोदया मेरे वार्ड में सड़क को ऊँचा करने के कारण सीवर के गन्दे पानी से लोग परेशान है, आये दिन शिकायतें मिल रही है, यह जानकारी मिली है कि तीन–तीन माह का सीवर कर्मचारियों का भुगतान न होने के कारण हड़ताल पर है, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। सम्बन्धित कर्मचारियों का भुगतान कराया जाय।

श्री प्रशान्त सिंह–अध्यक्ष महोदया लक्जरा कम्पनी के चले जाने से 70 प्रतिशत राहत मिली हैं। जहॉ तक भुगतान करने का प्रश्न है, जो कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका भुगतान होना चाहिए।

अध्यक्ष–सचिव जलकल स्पष्ट करें।

सचिव, जलकल– अध्यक्ष महोदया धनराशि के अभाव में भुगतान नहीं हो पा रहा है, धनराशि उपलब्ध होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

श्री हारून अंसारी–अध्यक्ष महोदया सीवर के कर्मचारी प्रतिदिन कार्य करते है, उन्हें प्रतिदिन पैसा चाहिए अन्यथा उनका खर्च नहीं चल पाता है, ऐसी स्थिति में सदन यह तय करें कि प्रत्येक माह सीवर कर्मचारियों का भुगतान किया जाय।

अध्यक्ष– जलकल की दुर्दशा शहर के चारों तरफ दिख रही है, इनके द्वारा कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा हैं। बार–बार मेरे द्वारा अधिकारियों को बुलाकर निर्देश देने के बावजूद भी अधिकारी नहीं सुनते है, यह अत्यन्त खेदजनक है, 10–20 मीटर पाईप लाईन बदलने के लिए भी लोग परेशान है, कर्मचारियों के भुगतान में लापरवाही बरती जा रही है। हमें कार्य चाहिए किसी कर्मचारी का भुगतान बाधित न हो, भुगतान बाधित होने पर कर्मचारी हड़ताल पर चले जा रहें है जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है यह स्थिति पैदा न हो, नगर आयुक्त से वार्ता कर भुगतान करायें।

श्री प्रशान्त सिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री प्रशान्त सिंह पार्षद का प्रस्ताव दिनांक–11.12.2018	संकल्प संख्या–
3. वार्ड नं0 37 जगतगंज वार्ड में मरीमाई तेलियाबाग से लेकर अन्धरापुल के पास तक एक नाला का निर्माण हो रहा है जिसका लगभग आधा हिस्सा तैयार भी हो चुका है लगभग 9 माह से काम चल रहा है। कार्य धीरे–धीरे	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री हारून अंसारी द्वारा किया गया। **अध्यक्ष–** मुख्य अभियंता स्पष्ठ करें। **श्री लोकेश जैन–** अध्यक्ष महोदया नाला ठीक हो गया है, दो

Mridula
महापौर
नगर निगम–वाराणसी

हो रहा है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता व ए0ई0 से वार्ता हुई उनलोगों को भी कुछ पता नही है। मानक क्या है। गहराई क्या है। अन्दाजा पूर्वक बनाया जा रहा है। अगल–बगल के घरों का सीवर भविष्य में कहा जायेगा इन अधिकारियों को कुछ भी नही पता। आने–जानें का दो पुलिया रास्ता तोड़ दिया गया है। एक रास्ता थोड़ा बहुत बना है। आने–जाने वाले क्षेत्रीय नागरिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सदन नगर आयुक्त से यह प्रश्न करना चाहती है कि इस नाले के बारे में आप मौके पर जाकर देखा या संज्ञान में लिया कि क्या हो रहा है। अच्छा कार्य हो रहा है कि नही । अतः सदन नगर आयुक्त को आदेशित करती है कि पार्षद, अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर यथा स्थिति जानें साथ में जलकल के अधिकारी भी रहें।	पुलिया जिसका रैम ठीक कर दिया, सेकेण्ड फेज में रास्ता बन जायेगा, आज की तारीख में जल निकासी का नाला ठीक हो गया है। श्री प्रशान्त सिंह–अध्यक्ष महोदया मैं अधिशासी अभियंता की बात से मैं सहमत हूँ **अध्यक्ष–** प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

श्री कमल पटेल– अध्यक्ष महोदया कन्दवां नाला का उद्घाटन आप द्वारा किया गया था, नाले की सिल्ट निकाली गयी परन्तु स्थल से सिल्ट नहीं हटाया गया पुनः सिल्ट नाले में भर जाने के कारण सीवर का पानी बह रहा है, इसे ठीक कराया जाय।

अध्यक्ष– सचिव जलकल समस्या का निस्तारण करायें।

श्री हारून अंसारी– अध्यक्ष महोदया मलदहिया से मरीमाई मन्दिर होते हुए चौकाघाट तक नाला जाम है, इसकी सफाई करायी जाय।

अध्यक्ष–सम्बन्धित अधिकारी नोट करें, नालों की सफाई नगर निगम द्वारा की जाती है, नालें की सफाई व्यवस्था मुख्य अभियंता सुनिश्चित करायें।

श्री श्याम आसरे मौर्य–अध्यक्ष महोदया मेरा एक शोक प्रस्ताव है, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष– शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री श्याम आसरे मौर्य–अध्यक्ष महोदया आपके अनुमति से शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ–

"श्री डॉक्टर शिवकुमार स्वामी जी , जिन्होंने 111 साल की उम्र में सोमवार को अंतिम सांस ली, उन्हें कर्नाटक में वॉकिंग गॉड या चलता–फिरता भगवान के नाम से जाने जाते थे, वे पिछले आठ से भी ज्यादा दशक से सिद्धगंगा मठ के प्रमुख थें, जो बंगलुरू से 70 कि0मी0 दूर टुमूर में लिंगायत समुदाय की सबसे शक्तिशाली धार्मिक संस्थाओं में गिना जाता है। भारत के आध्यात्मिक गुरूओं में उनकी शख्सियत दुर्लभों में भी दुर्लभतम थी। वे कई स्वामियों के आदर्श थें, 88 सालों से उन्होंने हर जाति और हर समुदाय के अनाथों और बच्चों की सेवा की कोई भी उनके आवासीय स्कूलों में जा सकता था, पढ़ सकता था वो जो करते थे, वो बड़ा सीधा था कि लोगों की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसे है। उनके मन में कभी भी जाति को लेकर कोई दुर्भावना नहीं रही, उन्होंने सबके लिए खाने का इंतजाम किया, खास तौर से बच्चों के लिए और उन्हें ज्ञान अर्जित करने और समाज को लेकर जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया अनुयायिों के बीच 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसावा के अवतार के रूप में लोकप्रिय शिवकुमार स्वामी सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख भी थे। जो राज्य में लगभग 125 शैक्षणिक संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों से लेकर बिजनेस स्कूलों तक का संचालन करता है। केवल अलग जातियों से ही नहीं अगल धर्मो से भी जैसे मुसलमानों के बच्चों ने भी उनके आवासीय स्कूलों में पढ़ाई की एक अनुमान है कि उनके संस्थान से लगभग 10 लाख छात्रों ने पढ़ई की है। उन्होंने इतनी लंबी उम्र अपने खान–पान और जीवन शैली में अनुशासन की वजह से पाई हर दल का हर नेता उनसे आशीर्वाद लेने आता था। पर उन्होंने कभी अपने अनुयायियों से किसी एक समर्थन करने के लिए नहीं कहा। कुछ मठ किसी राजनीतिक दल या राजनेता के साथ जुड़ जाते है। स्वामीजी ने कभी ऐसा नहीं किया इस वजह से भीवो कई स्वामियों के लिए आदर्श रहें है पिछले साल भी कर्नाटक चुनाव से पहले सिद्धगंगा मठ

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

के स्वामी अपने रूख पर अटल रहें, लिंगायत समुदाय का एक गुट चाहता था कि उनके समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाय।

स्वामी जी के कई मठों ने इसका समर्थन या विरोध किया मगर चलते–फिरते भगवान अपनी तटस्थ राह पर चलते रहें ये ही वजहें है जिन्हें सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्ति किया है। पूरा सदन उनके निधन से मर्माहत है, हम सभी लोग उनकी आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना करते है दो मिनट का मौन रखकर सदन को स्थगित किया जाए।

अध्यक्ष–श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी अपना शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी–अध्यक्ष महोदया मैं निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ–

सर्व श्री राजेश यादव, संजय गुप्ता, राजेश केशरी व प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित शोक प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहा हूँ।

"स्व0 पं0 नीलकण्ठ शास्त्री काशी नगरी ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश के ज्योतिषशास्त्र के प्रकांड विद्वान, प्रखर भविष्य वक्ता, महान समाजसेवी के देहावसान से अत्यन्त दुःख व गम्भीर संवेदना प्रकट करता हूँ। उनका देहान्त दिनांक 24.01.2019 ई0 को सायंकाल को हो गया है। पं0 नीलकण्ठ शास्त्री जी इलाके में शास्त्री मामा के नाम से परिचित रहें साथ ही इलाके से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के साथ–साथ इलाके के करीब करीब सभी संस्थानों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। उनके देहान्त से काशी नगरी के सभी समाज व वर्ग का गम्भीर क्षति हुआ है। जिसका भरपाई किया जाना सम्भव नही है। उनके देहान्त से समाज के हर वर्ग के लोगों की अपूर्णीय क्षति हुई है। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह सम्भव नहीं है। पं0 नीलकण्ठ शास्त्रीजी अपने पीछे अपने तीन पुत्र और उनके हरा–भरा परिवार को छोड़ गये है। शास्त्री जी के शोकाकुल परिवार को इस दुःख की घड़ी में ईश्वर धैर्य व सहन शक्ति प्रदान करें। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति हेतु प्रार्थना करता हूँ।"

अध्यक्ष– सदन दोनों शोक प्रस्ताव पर दो मिनट का मौन श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

तत्पश्चात् दो मिनट का शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की जाती हैं।

Mridula

(मृदुला जायसवाल)
अध्यक्ष / महापौर
नगर निगम–वाराणसी